


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 64/2024 बउनवानी घनश्याम हरिजन बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बौली पुत्र श्री बाबूलाल हरिजन निवासी ग्राम शेषा तहसील मलारना डूंगर

GCMS No-2024/157

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
26.12.2024	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 11.10.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " <u>प्रार्थी कें पिता बाबूलाल पुत्र नानगा हरिजन को ग्राम दिवाडा में आवंटित भूमि ख0न0 1494/5 आवंटन आदेश, कब्जा रिपोर्ट, नई पुरानी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सहित जमा करवायी राशि 375 रु की रसीद की सूचना सहित कुल 5 बिन्दुओं की सूचना</u> " तहसीलदार बौली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/2024/142 दिनांक 26.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्त के प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2024 में चाही गयी 5 बिन्दुओं की सूचना का संबंध तहसीलदार मलारना डूंगर के कार्यालय से होने के कारण तहसीलदार बौली के पत्रांक 130 दिनांक 30.10.2024 से अपीलान्त का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार मलारना डूंगर को अन्तरित किया जा चुका है।</p> <p>अपीलान्त द्वारा लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन है कि उक्त आवंटित भूमि के नामा0 की नकल दिलवायी जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि अपीलान्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 11.10.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचनाओं का संबंध तहसीलदार मलारना डूंगर के कार्यालय से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा तत्समय ही अपीलान्त का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार मलारना डूंगर को अन्तरित किया जा चुका है तथा अन्य अपील (66/2024 उनवानी घनश्याम बनाम तहसीलदार मलारना डूंगर) में अपीलान्त को वांछित सूचनाएं में से तहसीलदार मलारना डूंगर के कार्यालय द्वारा बिन्दु संख्या 2 की सूचनाएं अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दुओं की सूचना के संबंध में अपीलान्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;">  (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर </p>